

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौ

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

19/6/25 पत्रावली पेश हुई वकालत उपस्थित, पत्रावली पुराना वास्ते
 दिनांक 19-6-25 को पेश हो।

19/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकालत उपस्थित।
 दिनांक 03/10/25 को पेश हो।

03/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकालत उपस्थित।
 दिनांक 03/10/25 को पेश हो।

08/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वकील एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए।
 अतः मु. नं. 16/10/25 के अन्तर्गत लालचन्द लाल वनाम पूरन दावा का वकालत तकासमा के स्वामी निवेद्याजा अरुम पैस्वी अरुम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली जैसल गुमार ठीक बाद तर्कमाल न. से कम की जाऊँ राखिल देणद ही।

आदेश यहाँ न्यायालय में सुनाया गया।
 उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)